



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 507 ]  
No. 507]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 1996/भाद्र 15, 1918  
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 1996/BHADRA 15, 1918

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1996

का. आ. 622(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 16 फरवरी, 1987 में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 83(अ), तारीख 16 फरवरी, 1987 में संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	अधिकारी/अधिकरण	निम्नलिखित के अधीन नियुक्त
1	2	3
61.	संघ-राज्य-क्षेत्रों की बाबत समिति का अध्यक्ष	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
62.	संघ राज्य-क्षेत्रों की बाबत समिति का सदस्य-सचिव	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

[फा. सं. 1/24/96-पी.एल.]

विजय शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना, का. आ. सं. 83(अ), तारीख 16-2-87 द्वारा प्रकाशित की गई और उसका का. आ. सं. 63(अ), तारीख 18-1-88 द्वारा संशोधन किया गया।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY  
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

[PART II—S.]

## NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 1996

**S.O. 622(E).**—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 10 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests No. S.O. 83 (E) dated the 16th February, 1987, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, section 3, sub-section (ii) dated 16th February, 1987.

In the said notification, in the Table, after serial number 60 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

Serial No.	Officer/Agency	Appointed under
1	2	3
61.	Chairman of the Committee in respect of Union Territories	The Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981
62.	Member Secretary of the Committee in respect of Union Territories	The Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

[F. No. 1/24/96-PL]

VIJAY SHARMA, Jt. Secy.

Note.—Principal Notification published vide S.O. No. 83(E) dt. 16-2-87 and amended vide S.O. No. 63(E) dt. 18-1-88.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1996

**का. आ. 623(अ).**—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 16 फरवरी, 1987 में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 84(अ), तारीख 16 फरवरी, 1987 में संशोधन करती है।  
उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	अधिकारी/अधिकरण	निम्नलिखित के अधीन नियुक्त
1	2	3
61.	संघ राज्य-क्षेत्रों की बाबत समिति का अध्यक्ष	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
62.	संघ राज्य-क्षेत्रों की बाबत समिति का सदस्य-सचिव	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

[फा. सं. 1/24/96-पी.एल.]

विजय शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना, का. आ. सं. 84(अ), तारीख 16-2-87 द्वारा प्रकाशित की गई और उसका का. आ. सं. 63(अ), तारीख 18-1-88 द्वारा संशोधन किया गया।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 1996

**S.O. 623(E).**—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests No. S.O. 84(E) dated the 16th February, 1987, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, section 3, sub-section (ii) dated 16th February, 1987.

In the said notification, in the Table, after serial number 60 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

Serial No.	Officer/Agency	Appointed under
1	2	3
"61.	Chairman of the Committee in respect of Union Territories	The Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981
62.	Member Secretary of the Committee in respect of Union Territories	The Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981"

[F. No. 1/24/96-PL]

VIJAY SHARMA, Jt. Secy.

**Note.**—Principal Notification published vide S.O. No. 84(E) dt. 16-2-87 and amended vide S.O. No. 63(E) dt. 18-1-88.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1996

**का. आ. 624(अ).**—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 16 अप्रैल, 1987 में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 394(अ), तारीख 16 अप्रैल, 1987 का संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	अधिकारी	अधिकारिता
1	2	3
"12.	संघ राज्य-क्षेत्रों की बाबत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन अधिसूचित समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव	संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र"

[फा. सं. 1/24/96-पी.एल.]

विजय शर्मा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण.**—मूल अधिसूचना, का. आ. सं. 394(अ), तारीख 16-4-87 द्वारा प्रकाशित की गई और उसका का. आ. सं. 237(अ), तारीख 29-3-89 तथा का. आ. सं. 656(अ), तारीख, 21-8-89 द्वारा संशोधन किया गया।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 1996

**S.O. 624(E).**—In exercise of the powers conferred under clause (a) of section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests No. S.O. 394(E) dated the 16th April, 1987, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, section 3, sub-section (ii) dated 16th April, 1987.

In the said notification, in the Table, after serial number 11 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely :—

Serial No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
"12.	Chairman or Member Secretary of the Committee notified under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 in respect of Union Territories.	Whole of Union Territory"

[F. No. 1/24/96-PL]  
VIJAY SHARMA, Jt. Secy.

**Note.**—Principal Notification published vide S.O. No. 394(E) dt. 16-4-87 and amended vide S.O. No. 237(E) dt. 29-3-89 and S.O. No. 656(E) dated 21-8-89.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1996

**का. आ. 625(अ).**—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8, धारा 23 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्ध और हथालना) नियम, 1989 का निम्नलिखित रूप में संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्ध और हथालना) संशोधन नियम, 1996 है ।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, :—  
"समिति" से संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन अधिसूचित समिति अभिप्रेत है ।
3. परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्ध और हथालना) नियम, 1989 में :—  
(1) नियम 4 के उपनियम (2) में, "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के स्थान पर "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति" रखा जाएगा;  
(2) नियम 5 के उपनियम (2) में, "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के स्थान पर "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति" रखा जाएगा;  
(3) नियम 5 के उपनियम (3) में, "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के स्थान पर "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति" रखा जाएगा;  
(4) नियम 5 के उपनियम (4) में, "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के स्थान पर "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति" रखा जाएगा;  
(5) नियम 5 के उपनियम (7) में, "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के स्थान पर "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति" रखा जाएगा;  
(6) नियम 6 के उपनियम (1) में, "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के स्थान पर "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति" रखा जाएगा;  
(7) नियम 6 के उपनियम (2) में, "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के स्थान पर "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति" रखा जाएगा;  
(8) नियम 9 के उपनियम (2) में, "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के स्थान पर "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति" रखा जाएगा;  
(9) नियम 10 में, "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के स्थान पर "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति" रखा जाएगा;  
(10) नियम 11 के उपनियम (1) में, "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के स्थान पर "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति" रखा जाएगा;  
(11) नियम 11 के उपनियम (4) में, "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के स्थान पर "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति" रखा जाएगा;  
(12) नियम 11 के उपनियम (5) में, "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के स्थान पर "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति" रखा जाएगा;

[खंड 3(ii)]

- (13) नियम 11 के उपनियम (6) में, "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के स्थान पर "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति" रखा जाएगा;
- (14) नियम 11 के उपनियम (7) में, "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के स्थान पर "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति" रखा जाएगा;
- (15) नियम 12 के उपनियम (1) में, "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" द्वारा प्राधिकार के निलंबन या रद्दकरण या इंकार किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार को के स्थान पर "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकार के निलंबन या रद्दकरण या इंकार किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की समिति को" रखा जाएगा;
- (16) प्ररूप 2 में, "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के स्थान पर "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति" रखा जाएगा;
- (17) प्ररूप 4 में, "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के स्थान पर "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति" रखा जाएगा।

[फा. सं. 1/24/96-पी.एल.]

विजय शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल नियम का.आ. सं. 594(अ), तारीख 28 जुलाई, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.आ. सं. 116(अ), तारीख 15-3-90 और सा.का.नि. सं. 380(अ), तारीख 31-3-92 द्वारा उसमें संशोधन किया गया।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 1996

**S.O. 625(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 6, 8, 23 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) the Central Government hereby amend the Hazardous Waste (Management and Handling) Rules, 1989 as follows, namely :—

1. (1) These rules may be called the Hazardous Waste (Management and Handling) Amendment Rules, 1996.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In these rules, unless the context otherwise requires :—
  - "Committee" means Committee notified under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 in respect of Union Territories.
3. In the Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 1989 :—
  - (1) in rule 4, in sub-rule (2), for "State Pollution Control Board" "State Pollution Control Board or Committee" shall be substituted;
  - (2) in rule 5, in sub-rule (2), for "State Pollution Control Board" "State Pollution Control Board or Committee" shall be substituted;
  - (3) in rule 5, in sub-rule (3), for "State Pollution Control Board" "State Pollution Control Board or Committee" shall be substituted;
  - (4) in rule 5, in sub-rule (4), for "State Pollution Control Board" "State Pollution Control Board or Committee" shall be substituted;
  - (5) in rule 5, in sub-rule (7), for "State Pollution Control Board" "State Pollution Control Board or Committee" shall be substituted;
  - (6) in rule 6, in sub-rule (1), for "State Pollution Control Board" "State Pollution Control Board or Committee" shall be substituted;
  - (7) in rule 6, in sub-rule (2), for "State Pollution Control Board" "State Pollution Control Board or Committee" shall be substituted;
  - (8) in rule 9, in sub-rule (2), for "State Pollution Control Board" "State Pollution Control Board or Committee" shall be substituted;
  - (9) in rule 10 for "State Pollution Control Board" "State Pollution Control Board or Committee" shall be substituted;
  - (10) in rule 11, in sub-rule (1), for "State Pollution Control Board" "State Pollution Control Board or Committee" shall be substituted;
  - (11) in rule 11, in sub-rule (4), for "State Pollution Control Board" "State Pollution Control Board or Committee" shall be substituted;
  - (12) in rule 11, in sub-rule (5), for "State Pollution Control Board" "State Pollution Control Board or Committee" shall be substituted;

- (13) in rule 11, in sub-rule (6), for "State Pollution Control Board" "State Pollution Control Board or Committee" shall be substituted;
- (14) in rule 11, in sub-rule (7), for "State Pollution Control Board" "State Pollution Control Board or Committee" shall be substituted;
- (15) in rule 12, in sub-rule (1), for "State Pollution Control Board to the State Government" "State Pollution Control Board to the State Government or Committee to the Union Territory" shall be substituted;
- (16) in Form 2, for "State Pollution Control Board" "State Pollution Control Board or Committee" shall be substituted;
- (17) in Form 4, for "State Pollution Control Board" "State Pollution Control Board or Committee" shall be substituted.

[F. No. 1/24/96-PL]

VIJAY SHARMA, Jt. Secy.

**Note.**—Principal rules were published vide S.O. No. 594(E) dated 28th July, 1989 and subsequently amended vide S.O. No. 116(E) dated 15-3-90 and G.S.R. No. 380(E) dated 31-3-92.